

## न्यायालय जिला कलेक्टर, जालौर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस.

साथल

बनाम

गैरसाथल

राजस्थान सरकार जारिये पुष्पराज 1.श्री करण सिंह पुत्र श्री किसन सिंह ग्राम डेडवा  
पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जालौर बनाम तह. सांचोर मालिक:- चामुण्डा बीकानेर मिष्ठान  
भण्डार रानीवाडा चार रास्ता,सांचोर  
2.श्री राकेश पुत्र श्री कंवरलाल विश्‍नोई हाल  
सेल्समेन, चामुण्डा बीकानेर मिष्ठान भण्डार, सांचोर

08/2018

प्रकरण संख्या

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :-

- 1.प्रवर्तन निरीक्षक जालौर
- 2.श्री उम्मेदसिंह, अभिभाषक गैर साथलान।

निर्णय

दिनांक 18.07.2018

1. साथल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर साथल से जब्त किए गए 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस व एक बडा गैस सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात(Confiscate) करावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर साथल को इस्तगासे की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी किया गया, गैर साथलान के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तत्पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष को बहस सुनी गई।
3. प्रवर्तन निरीक्षक, जालौर ने अपनी बहस में व्यक्त दिया कि दिनांक 11.4.2018 को सांचोर शहर स्थित फर्म चामुण्डा बीकानेर मिष्ठान भण्डार सांचोर के कार्यकर्ता श्री राकेश पुत्र श्री कंवरलाल जाति विश्‍नोई निवासी खाबडा तहसील ओसिया हाल सांचोर के रूबरू मोतबिरान की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) के वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर(14.2 किलोग्राम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्षमता वाले)आईओसीएल कम्पनी के इण्डेन गैस मार्का के फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एस.आर.नम्बर 219854-S, 351283-S से वस्तु कचौरी/ नास्ता बनाते हुए पाया गया एवं एक बडे सिलेण्डर SR नम्बर 78 जिसके कागजात मौके पर पेश नहीं किये गये से कचौरी बनाते हुए पाया गया। निरीक्षण पर वक्त जांच उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों में एलपीजी गैस की मात्रा फर्द निरीक्षण एवं अभिग्रहण में वर्णित अनुसार धरी हुई पाई। फर्म/दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नहीं करके भिन्न कार्यो (वाणिज्य उपयोग)हेतु अवैध रूप से उपयोग किया है। मौके पर प्रतिष्ठान/फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख) एवं (ग) एवं 7 (ग) का उल्लंघन करने से उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी गैस, आदेश के खण्ड 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिग्रहण किया गया।अभिग्रहण शुदा गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगीनामा पर प्रोपराईटर सम्राट गैस एजेन्सी सांचोर को सुपुर्द किये गये है।

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के की धारा 6ए के अन्तर्गत अभिग्रहण शुदा भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डरों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से राजसात करावे

4. गैर साथल के अभिभाषक ने व्यक्त किया कि गैर साथल की सांचोर में मिठाई की दुकान है। गैर साथल के घरेलू गैस सिलेण्डर खाली हो जाने के कारण भरवाने हेतु दुकान पर लाए गए थे। गैर साथल उक्त गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यक उपयोग नहीं कर रहा था। अतः उक्त सिलेण्डर वापिस दिलाए जावे व गैर साथल के विरुद्ध की गई कार्यवाही खारिज फरमावे।

जालौर  
जिला कलेक्टर  
(बी.एल.कोठारी)  
२३/१

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खले न्यायालय में सुनाया गया।

जालौर  
जिला कलेक्टर  
(बी.एल.कोठारी)  
२३/१

न्यायालय को सूचित करें।

निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस  
किण्ट ११२ २ वरलू गैस सिलेण्डर मय गैस व एक बडा गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार  
अभी तक नही किया गया है। अतः जिला सदर अधिकारी जालौर को निर्देश दिवे जाते है कि जद  
जद शूदा २ वरलू गैस सिलेण्डर मय गैस व एक बडा गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण  
को राजसात(Confiscate) किया जाता है।

जाता है तथा जद किचे गये २ वरलू गैस सिलेण्डर मय गैस व एक बडा गैस सिलेण्डर मय गैस  
अतः सायल का यह प्राधान पत्र अन्तर्गत धारा ६ ए आवश्यक वस्ति अधिनियम को स्वीकार किया

१९५५ की धारा ३/७ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

खण्ड ३(१) (ख) व (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। यह केवल आवश्यक वस्ति अधिनियम  
उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश २०००" के  
सायल के पास कोई वेश लाइसेन्स नही था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा वरलू गैस का व्यावसायिक  
सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यावसायिक उपयोग के कारण जद किया गया है। गैर  
वर्तित तथ्यों के अनुसार गैर सायल के पास से २ वरलू गैस सिलेण्डर मय गैस व एक बडा गैस  
५. भूरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तेमाल में